रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

**हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित**

शिमला, मंगलवार, 22 जून, 2004/1 आषाढ़, 1926

### हिमाचल प्रदेश सरकार

### हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला–2, 21 जून, 2004

**संख्या एच0 पी0 इ0 आर0 सी0/021.**––हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 87 के साथ पठित धारा 181 की उप–धारा (1)

911–राजपत्र/2004–22–6–2004––1,610.



मूल्य : एक रुपया।

द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है :–

## विनियम

### भाग–1 – प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** –– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

**2. परिभाषाएं** .–– (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो , –

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) ''कार्य–सूची'' से राज्य सलाहकार समिति की बैठक में कारवार संव्यवहार हेतु प्रस्तावित कार्य–सूची अभिप्रेत है ;

(ग) ''अध्यक्ष'' से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "समिति" से राज्य सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(च) "समिति सदस्य" से आयोग के सदस्य से भिन्न राज्य सलाहकार समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है ।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु यहां परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में नियत किया गया है ।

## भाग – 2

## समिति का गठन तथा कृत्य

3. **राज्य सलाहकार समिति का गठन** .–– (1) आयोग, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जो यह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, इक्कीस से अनधिक सदस्यों की एक समिति गठित करेगा जिसे, राज्य सलाहकार समिति कहा जाएगा ।

(2) आयोग, समिति में विद्युत सेक्टर में निम्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य नामनिर्दिष्ट करेगा :–

(क) वाणिज्य ;

(ख) विद्युत उद्योग ;

(ग) परिवहन ;

(घ) कृषि ;

(ड.) श्रम ;

(च) उपभोक्ता ;

(छ) गैर–सरकारी संगठनों ;

(ज) विद्युत सैक्टर में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों ।

(3) सदस्यों के नाम निर्देशन से पूर्व, आयोग, यदि आवश्यक समझे, हित प्रतिनिधियों या ग्रुपों से परामर्श कर सकता है ।

(4) समिति के निम्न पदेन सदस्य होंगे :–

(क) आयोग के अध्यक्ष ;

(ख) आयोग के सदस्य ;

(ग) उपभोक्ता मामले तथा लोक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित मन्त्रालय या विभाग का भारसाधक राज्य का सचिव ।

(5) आयोग अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(6) आयोग सचिव समिति का पदेन सचिव होगा ।

(7) उप–विनियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट समिति सदस्यों की पदावधि, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से, दो वर्ष की होगी :

परन्तु नाम निर्दिष्ट सदस्य पुनर्नामनिर्देशन का पात्र होगा ।

**4. राज्य सलाहकार समिति के कृत्य** .—(1) समिति निम्नलिखित के सम्बन्ध में राज्य आयोग को सलाह देगी :–

(क) नीति सम्बन्धी मुख्य प्रश्न ;

(ख) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की क्वालिटी, निरन्तरता और विस्तार से सम्बन्धित विषय ;

(ग) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्तियों की शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन ;

(घ) उपभोक्ता हित का संरक्षण ;

(ङ) विद्युत प्रदाय और उपयोगिताओं द्वारा निष्पादन के समग्र मानदण्ड ; तथा

(च) ऐसे विषय जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं ।

(2) उप–विनियम (1) के कृत्यों के निष्पादन में समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार तथा प्रकाशित की गई राष्ट्रीय विद्युत नीति से मार्गदर्शित होगी।

## भाग – 3

## बैठकें

**5. समिति की बैठकें** –– समिति अपने कारवार संव्यवहार हेतु प्रत्येक छः मास में एक बार तथा ऐसे अन्तराल पर, जैसे अध्यक्ष विनिश्चित करें, बैठक करेगी ।

**6. बैठक स्थल** .–– समिति की बैठकें ऐसे स्थान पर, जैसे अध्यक्ष विनिश्चित करे, होंगी ।

**7. बैठक की कार्यसूची तथा सूचना** .–– (1) आयोग सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्, सूचना, विवरण तथा रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित कार्य–सूची भेजकर और सदस्यों/समिति सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की तारीख, समय तथा स्थान का नोटिस, जो इक्कीस (21) दिन से कम का न हो, देकर समिति की बैठकें बुलवाएगा ।

(2) सदस्य संक्षिप्त टिप्पण द्वारा, विनियम 4 में निर्दिष्ट किसी विषय का उल्लेख करते हुए, पश्चात्वर्ती बैठक की कार्य–सूची में सम्मिलित करने के लिए सचिव को लिख सकेंगे और यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात हो, उसे विनियम (1) के अधीन परिचालित की जाने वाली कार्य–सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा ।

(3) अध्यक्ष विशेष बैठक बुलवा सकेंगे तथा उस दशा में बैठक का नोटिस तीन दिन से कम का भी हो सकेगा ।

(4) यदि नोटिस (सूचना) सदस्य, समिति सदस्य के पंजीकृत पते पर, विहित समय के भीतर, डाक द्वारा या संदेशवाहक के माध्यम से, भेजा जाता है तो वह सम्यक् रूप से भेजा गया समझा जाएगा ।

**8. बैठकों में गणपूर्ती एवं चर्चा** — (1) बैठक की गणपूर्ती समिति की विद्यमान नियुक्त सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी :

परन्तु समिति की बैठक में प्रोक्षी (प्राक्सी) उपस्थिति अनुज्ञात नहीं होगी ।

(2) यदि बैठक में गणपूर्ती नहीं होती तो वह स्थगित कर दी जाएगी और स्थगित बैठक की दशा में और कोई नोटिस (सूचना) तथा गणपूर्ती अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यदि बैठक प्रारम्भ होने के पश्चात् गणपूर्ती नहीं रहती है तो बैठक विघटत नहीं की जाएगी और वह जारी रखी जाएगी ।

(3) स्थगित बैठक में, उस बैठक, जिसमें स्थगन किया गया था, के बकाया विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष, सूचना सहित या उससे रहित, कोई नया विषय, जो उनके मत में अतिआवश्यक है, को स्थगित बैठक में ला सकेगा या लाने के लिए निर्देषित कर सकेगा ।

(4) बैठक में चर्चा तथा उसमें लिए गए परिणामत : निष्कर्ष, यदि कोई हो, बैठक के लिए नियत कार्य–सूची के क्रमानुसार ही होंगे :

परन्तु बैठक के अन्त में अध्यक्ष कार्य–सूची पर अतिरिक्त विषय ला सकेगा ।

**9. रिक्तियों तथा कार्य–सूची अप्राप्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.**– केवल इस आधार पर कि समिति में रिक्तियां हैं या किसी समिति सदस्य द्वारा नोटिस (सूचना) या कार्य–सूची, यदि नोटिस या कार्य–सूची सम्यक् रूप से जारी की गई है, प्राप्त नहीं होती है, समिति की कोई कार्यवाही या उसमें पारित संकल्प या लिया गया विनिश्चय अविधिमान्य नहीं होगा ।

**10. पीठासीन अधिकारी** .— (1) बैठक की अध्यक्षता तथा उसका कारवार संचालन अध्यक्ष करेगा। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहने में असमर्थ हों तो राज्य आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता तथा समिति अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) अध्यक्ष, या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, द्वारा प्रकिया–प्रश्नों पर दी गई व्यवस्था अन्तिम तथा आबद्धकर होगी ।

**11. बैठकों में भाग लेना** .— (1) अध्यक्ष किसी व्यक्ति को, जो समिति का सदस्य नहीं है, बैठक की कार्य–सूची में किसी विषय पर समिति को सहायता और सलाह देने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमन्त्रित कर सकेगा।

(2) सचिव और व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित किया गया है, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य की अनुमति से, चर्चा में भाग ले सकेगा।

**12. बैठक का कार्यवृत्त** .— (1) सचिव, या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा आयोग का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी, बैठक का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा और ऐसी

पुस्तिका रखेगा जिसमें, दूसरी बातों के साथ–साथ, बैठक और कार्यवाहियों में उपस्थित सदस्यों और आमन्त्रित व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम भी दर्ज किये जाएंगे ।

(2) बैठक का कार्यवृत्त बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) सदस्यों के सूचनार्थ अगली बैठक में आयोग द्वारा पिछली बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्यवाही का विवरण रखा जाएगा ।

(4) कार्यवाही अभिलेख समिति सदस्यों के निरिक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे ।

(5) आयोग द्वारा अपने अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों की अभिप्राप्ति के लिए विहित शुल्क के संदाय पर, समिति सदस्य के इलावा, किसी भी व्यक्ति को समिति की कार्यवाहियों के अभिलेख की प्रतियां दी जा सकेंगी ।

## भाग – 4

## सदस्यों को देय शुल्क एवं भते; सदस्यता का त्याग/सदस्यता की समाप्ति

**13. समिति सदस्यों को देय शुल्क तथा यात्रा भत्ते** — (1) समिति सदस्यों, जिसके अन्तर्गत विनियम 11 के अधीन विशेष अतिथि के रूप में आमन्त्रित व्यक्ति भी शामिल है, इन विनियमों में उपबन्धित से भिन्न पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे ।

(2) आमन्त्रित व्यक्ति सहित समिति सदस्य, जो सरकारी अधिकारी या किसी सरकारी परिकरण अथवा पब्लिक सैक्टर उपक्रम का कर्मचारी/अधिकारी है, बैठक और यात्रा भत्ता अपने मूल विभाग या संस्थान से लेगा ।

(3) उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त सभी समिति सदस्यों या आमन्त्रित व्यक्ति को प्रत्येक बैठक के लिए 500 रुपये बैठक फीस तथा राज्य सरकार के ग्रुप ''ए'' अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता सदत्त किया जाएगा ।

(4) जहां कहीं ऐसा करना समीचीन हो, आयोग, उन सदस्यों, जो नियत बैठक स्थल से बाहर से आ रहे हों, के लिए भोजन व आवास की व्यवस्था और उन्हें निकटतम रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे से आने जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवा सकेगा ।

**14. सदस्यता की समाप्ति** — (1) नामनिर्दिष्ट सदस्य, जो आयोग को पूर्व सूचना दिए बिना तथा अनुपस्थिति के लिए किसी मान्य कारण के बगैर, समिति की दो क्रमवर्ती बैठकों में उपस्थित रहने में असमर्थ होता है, तत्काल से समिति सदस्य नहीं रहेगा ।

(2) कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, आयोग के सचिव को सम्बोधित अपने हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने समिति सदस्य के पद का त्याग कर सकेगा और उक्त त्याग–पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले दिन से प्रभावी होगा ।

(3) आयोग, इस प्रकार से हुई रिक्ती को भरने के लिए किसी को सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए समुचित कार्यवाही करेगा और इस उप–विनियम के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, इन विनियमों के विनियम 3 (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट अन्य समिति सदस्यों की पदावधि के सह विस्तारी होगी ।

**15. सदस्य का हटाया जाना** — (1) आयोग, पदेन सदस्यों से भिन्न, समिति सदस्यों को पद से हटा सकेगा, यदि वह —

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है ;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) उसका अपना आचरण इस प्रकार का है या उसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरूपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित या अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(2) उस सदस्य को जिसे उप–विनियम (1) के अधीन हटाया जाना प्रस्तावित किया जाता है अपनी स्थिति बताते हुए आयोग के अध्यक्ष को अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जायेगा ।

**16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** .— (1) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) तथा इन विनियमों के अधीन रहते हुये, आयोग उन मामलों में जिनके लिए ये विनियम आयोग को निदेश देने के लिए सशक्त करते हैं, आयोग, समय–समय पर, विनियमों के अनुपालन में तथा प्रकिया अपनाने हेतु एवं प्रासंगिक या आनुषांगित विषयों पर आदेश तथा पद्वति निदेश दे सकेगा ।

(2) यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी कार्यवाही, जो आयोग को कठिनाईयां दूर करने के उद्देश्य से समचीन लगती हो, कर सकेगा या समिति को करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग, किसी भी समय, आदेश द्वारा, इन विनियमों के उपबन्धों में परिवर्धन, परिवर्तन, उपान्तरण व संशोधन कर सकेगा ।

(4) इस विनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा पटल पर रखा जायेगा ।

**17. निरसन और व्यावृति** — (1) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 24 तथा 25 के अधीन 28 फरवरी, 2001 को जारी हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति संचालन मार्गदर्शन (गाइडलाइन्ज फार फंकशनिंग आफ स्टेट एडवाजरी कमेटी) एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए, आसीन सदस्य जिन्हें निरसित गाइडलाइन्ज के अधीन सलाहकार समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है, अपनी शेष पदावधि तक इन विनियमों के अधीन सदस्य बने रहेंगे ।

आयोग के आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला ।

---

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

## HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISION SHIMLA

NOTIFICATION

*Shimla*-2, *the* 21*st June*, 2004.

**No. HPERC/021.**—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 181, read with section 87 of

the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, makes the following regulations, namely :—

## REGULATIONS

### PART–I PRELIMINARY

**1. Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (State Advisory Committee) Regulations, 2004.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Definitions.**— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003) ;

(*b*) "agenda" means the list of business proposed to be transacted at a meeting of the State Advisory Committee ;

(*c*) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission ;

(*d*) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission ;

(*e*) "Committee" means the State Advisory Committee ;

(*f*) "Committee Member" means a Member of the State Advisory Committee other than a Member of the Commission ;

(*g*) "Member" means a Member of the Commission.

(2) The words or expressions used, but not defined, in these regulations shall have the same meanings as are given to them in the Act.

### PART—II CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

**3. Constitution of the State Advisory Committee.**— (1) The Commission shall, by notification, constitute with effect from such date, as it may specify in such notification,

a Committee consisting of not more than twenty-one members to be known as the State Advisory Committee.

(2) The Commission shall nominate members to the Committee to represent the interests, in the electricity sector, of .—

(*a*) commerce ;
(*b*) electricity industry ;
(*c*) transport ;
(*d*) agriculture ;
(*e*) labour ;
(*f*) consumers ;
(*g*) Non-Governmental organisations ; and
(*h*) academic and research bodies in the electricity sector.

(3) The Commission may consult the representatives or bodies of interest groups before nominating the members, if it considers it necessary.

(4) The following shall be *ex-officio* Members of the Committee :—

(*a*) the Chairperson of the Commission ;
(*b*) the Members of the Commission ;
(*c*) the Secretary to the State Govt. in-charge of the Ministry or Department dealing with the Consumer Affairs and Public Distribution System.

(5) The Chairperson of the Commission shall be the *ex-officio* Chairperson of the Committee.

(6) The Secretary of the Commission shall be the *ex-officio* Secretary of the Committee.

(7) The term of Committee Members, nominated under sub-regulation (2), shall be two years from the date of the notification of their appointment :

Provided that a nominated Committee Member shall be eligible for re-nomination.

**4. Functions of the State Advisory Committee.**— (1) The functions of the Committee shall be to advise the Commission on —

(*a*) major questions of policy ;
(*b*) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees ;
(*c*) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence ;

(*d*) protection of consumer interest ;

(*e*) electricity supply and overall standards of performance by the utilities; and

(*f*) matters which the Commission may refer specifically.

(2) In discharging the functions under sub-regulation (1), the Committee shall be guided by the National Electricity Policy prepared and published by the Central Govt. under the Act.

## PART—III MEETINGS

**5. Meetings of the Committee.**— The Committee shall, for transaction of its business, meet once in every six months or at such intervals as may be decided by the Chairperson.

**6. Venue of Meetings.**— The meetings of the Committee shall be held at such places as may be decided by the Chairperson.

**7. Agenda and Notice of Meetings.**— (1) The Secretary of the Commission shall, after approval of the Chairperson, convene the meetings of the Committee by sending the agenda of the meeting together with notice, statements and report, if any, and by giving Members/Committee Members thereof not less than twenty-one (21) days notice in writing of the date, time and place of the proposed meeting.

(2) The members may write to the Secretary, indicating, through a brief note, any particular matter referred to in regulation 4, for inclusion in the agenda of the subsequent meeting and, if permitted by the Chairperson, the same shall be included in the agenda to be circulated under sub-regulation (1).

(3) A special meeting can be convened by the Chairperson, in which case the notice for the meeting may be of less than three days.

(4) A notice shall be deemed to have been duly issued if it is sent, by post or by a messenger, within the prescribed time to the registered address of the Member/Committee Member.

**8. Quorum for and discussions in Meetings.**— (1) The quorum for the meeting shall be one-third of the existing filled up strength of the Committee :

Provided that attendance by proxy shall not be permitted at the meeting of the Committee.

(2) If there is no quorum, the meeting shall stand adjourned and no further notice and quorum shall be required at the adjourned meeting :

Provided that if at any time after the meeting is commenced a quorum ceases to exist, the meeting shall not be dissolved but shall continue.

(3) No matter shall be considered at an adjourned meeting other than the matters remaining from the meeting at which the adjournment took place :

Provided that, with or without notice, the Chairperson may bring in, or direct to be brought before an adjourned meeting of the Committee any new matter which, in his opinion, is urgent.

(4) The discussions held and consequent conclusions, if any, drawn in the meeting shall strictly follow the agenda scheduled for the meeting :

Provided that the Chairperson may take up additional subjects to the agenda at the end of the meeting.

9. **Vacancies and non-receipt of agenda not to invalidate proceedings.**— No proceedings of the Committee or any resolution passed or any decision taken shall be invalid by reason solely of the vacancies existing in the Committee, or by reason of non-receipt, by any Committee Member, of the notice or the agenda papers, provided that the notice and agenda is duly issued.

10. **Presiding Officer.**— (1) The Chairperson shall preside over the meetings and conduct the business: If the Chairperson is unable to be present in the meeting, for any reason, the senior-most Member of the Commission shall preside over the meeting and perform the duties of the Chairperson of the Committee.

(2) The rulings given by the Chairperson, or the Member presiding over the meeting, on any points of procedure shall be final and binding.

11. **Participation of Meetings.**— (1) The Chairperson may invite any person, who is not member of the Committee, as a special invitee to aid and advise the Committee on any matter on the agenda of the meeting.

(2) The Secretary and such other person who is invited by the Chairperson to attend any meeting may, with the approval of the Chairperson or of the presiding Member, participate in the discussions.

**12. Minutes of Meetings.**— (1) The Secretary, or in his absence an officer of the Commission designated by the Chairperson, shall record the minutes of the meetings and maintain a book, which will, amongst other things, contain the names and designations of the Members and invitees present in the meeting and proceedings thereof.

(2) The minutes of the meeting shall be signed by the Chairperson of the meeting.

(3) In relation to the decisions taken in the previous meeting the action taken report shall be laid by the Commission in the next meeting for the information of the members.

(4) The record of proceedings shall be open for inspection to the Committee Members.

(5) Any person, other than the Committee Member, may, on the payment of fees prescribed by the Commission for obtaining the certified copies of its record, be supplied with a copy of the record of the proceedings of the Committee.

## PART— IV

## FEES AND ALLOWANCES TO MEMBERS AND RESIGNATION/CESSATION OF MEMBERSHIP

**13. Fees and travelling allowances for Committee Members.**— (1) A Committee Member, including an invitee under regulation 11, shall not be entitled to any remuneration other than provided in these regulations.

(2) A Committee Member, including the invitee, who is a Government officer or an employee/officer of any Govt. instrumentality or of any Public Sector Undertaking, shall draw travelling and daily allowance from his parent department or organisation.

(3) All Committee Members, or an invitee, other than those referred to under sub-regulation (2) shall be paid a sitting fee of Rs. 500/- per meeting and the TA and DA at the rates admissible, in the State Govt. to its Grade -I officers.

(4) Whenever it is expedient to do so, the Commission may make Boarding and Lodging arrangements for the members coming from places outside the place fixed as the venue of the meeting and provide conveyance facility from and to the nearest railway station/airport.

**14. Cessation of Membership.**— (1) A nominated Committee Member who fails to attend two consecutive meetings of the Committee without prior information to the

Commission and without any valid reasons for his absence shall forthwith cease to be a Committee Member.

(2) Any nominated Member, may, by writing under his hand addressed to the Secretary of the Commission, resign his office as a Committee Member, and such resignation shall come into effect from the day the Chairperson accepts the same.

(3) The Commission will take appropriate action to nominate a Committee Member to fill up the vacancy so caused and the term of the Committee Member nominated under this sub-regulation shall be co-terminous with the term of office of the other Committee Members nominated under regulation 3(2) of these regulations.

**15. Removal of Member.**— (1) The Commission may remove any Member of the Committee, other than an *ex-officio* Member, who —

(*a*) has been adjudged as insolvent ; or
(*b*) has been convicted of an offence involving moral turpitude ; or
(*c*) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or
(*d*) has conducted himself in the manner or has abused his position as to render his continuance as a member prejudicial to the public interest or to the object and purpose of the Act.

(2) The Member who is proposed to be removed under sub- regulation (1) shall be given an opportunity to represent his position to the Chairman of the Commission.

## PART –V MISCELLANEOUS

**16. Power to remove difficulties.**— (1) Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of these regulations and procedures to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by these regulations to direct, and matters incidental or ancillary thereto.

(2) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or permit the Committee to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for removing the difficulties.

(3) Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Commission may, at any time, by an order, add, vary, modify or amend any of the provisions of these regulations.

(4) Every order made under this regulation shall be laid, as soon as may, after it is made, before the State Legislative Assembly.

**17. Repeal and Savings.**— (1) The Guidelines for Functioning of the State Advisory Committee dated the 28th February, 2001 issued under sections 24 and 25 of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (Act No.14 of 1998) by the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, the sitting Members of the Advisory Committee nominated under the repealed Guidelines shall continue as Members under these regulations for the remaining period of their term of office.

By order of the Commission,
Sd/-
*Secretary.*

---

## हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला–2, 21 जून, 2004

**संख्या एच.पी.इ.आ.सी./381.**––हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 43 की उप–धारा (1) के साथ पठित, धारा 181 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्द्वारा निम्न विनियम, बनाता है:–

### विनियम

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत प्रदाय करने का कर्तव्य) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम, हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके अनुज्ञाप्त क्षेत्रों में लागू होंगे ।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** .– इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से आयोग का वह सदस्य अभिप्रेत है जिसे आयोग उन मामलों का, जिनके लिए अधिनियम में उस द्वारा न्यायनिर्णयन करना विनिर्दिष्ट किया गया है, न्यायनिर्णयन करने के लिए नियुक्त करता है ;

(ग) "आवेदक" से परिसर का स्वामी या अधिभोगी, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय के लिए आवेदन देता है, अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ड.) "अतिरिक्त उच्च टेन्शन (EHT) उपभोक्ता" से वह उपभोक्ता जिसे 33000 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर विद्युत प्रदाय की जाती है, अभिप्रेत है;

(च) "उच्च टेन्शन (HT) उपभोक्ता" से वह उपभोक्ता जिसे 440 वोल्ट से अधिक और 33000 वोल्ट से अनधिक वोल्टता पर विद्युत प्रदाय की जाती है, अभिप्रेत है ;

(छ) "न्यून टेन्शन (LT) उपभोक्ता" से वह उपभोक्ता, जिसे 440 वोल्ट तक की वोल्टता पर विद्युत प्रदाय की जाती है, अभिप्रेत है ;

(ज) "माह" से कलैण्डर मास अभिप्रेत है तथा बिलों के प्रयोजन के लिए दो क्रमवर्ती मीटर रीडिंग में आने वाली लगभग 30 दिन की अवधि एक माह समझी जायेगी ; तथा

(झ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में क्रमशः नियत किया गया है ।

3. **अनुरोध पर प्रदाय करने का कर्तव्य.**–– (1) किसी परिसर स्वामी या अधिभोगी से आवेदन प्राप्ति के उपरान्त, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, निम्न विनिर्दिष्ट अवधि

के भीत्तर, आवेदक को, रिज़िस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा मांग नोटिस, स्पष्टतया निम्नलिखित दर्शित करते हुए, भेजेगा, अर्थात्---

(क) आवेदक द्वारा पूरी की जानी वाली कमी तथा औपचारिकताएं ;

(ख) अनुमोदित वायरिंग ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट देने की आवश्यकता ;

(ग) आवेदक द्वारा संदत किए जाने वाले प्रभार तथा प्रतिभूति रकम :—

| मांगे गए सर्विस कुनैक्शन की किस्म | आवेदन प्राप्ति से कालावधि जिसके भीतर मांग नोटिस भेजा जाना चाहिए |
|---|---|
| न्यून टैन्शन (LT) सप्लाई | 10 दिन |
| 11 के.वी. सप्लाई | 15 दिन |
| 22 के.वी. सप्लाई | 15 दिन |
| 33 के.वी. सप्लाई | 30 दिन |
| अतिरिक्त उच्च टैन्शन (EHT) सप्लाई | 60 दिन |

(2) आवेदक द्वारा, उप–विनियम (1) में दर्शित, कमियों को दूर करने तथा औपचारिकताओं को पूरा करने और प्रभार तथा प्रतिभूति रकम का संदाय करने पर, प्रत्येक वितरण अनुज्ञपप्तिधारी, उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विद्युत प्रदाय करेगा ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी परिसर को विद्युत प्रदाय–

(क) यहां ऐसे प्रदाय में मुख्य तारों का विस्तार करना, या नया उप–केन्द्र आरम्भ करना अपेक्षित नहीं है वहां उप–विनियम (1) के मांग नोटिस में बताई गई औपचारिकताएं पूर्ण होने तथा प्रभारों तथा प्रतिभूति रकम के संदाय से 20 दिनों के भीतर करेगा,

(ख) यहां ऐसे प्रदाय में मुख्य तारों का विस्तार करना या नए उपकेन्द्र आरम्भ करना अपेक्षित है, परन्तु नया 33/11 के.वी. उप–केन्द्र स्थापित करना

या आरम्भ करना आवश्यक नहीं है, तो निम्न विनिर्दिश्ट अवधि के भीतर करेगा :—

| मांगें गए सर्विस कुनैक्शन की किस्म | मांग नोटिस में दर्शित औपचारिकताओं के पूरा होने से कालावधि जिसके भीतर विद्युत प्रदाय किया जाना है |
|---|---|
| न्यून टैन्शन (LT) सप्लाई | 40 दिन |
| 11 के.वी. सप्लाई | 30 दिन |
| 22 के.वी. सप्लाई | 30 दिन |
| 33 के.वी. सप्लाई | 60 दिन |
| अतिरिक्त उच्च टैन्शन (EHT) सप्लाई | 120 दिन |

परन्तु विनिर्दिष्ट मामलों में यहां विस्तार इतने बड़े पैमाने पर अपेक्षित है कि अनुज्ञप्तिधारी को इसमें अधिक समय दरकार है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से, अवधि बढ़ाने के दावे के समर्थन में ब्यौरे प्रस्तुत करते हुए, ऊपरविनिर्दिष्ट अवधि को बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकेगा और यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिए गए ब्यौरे के औचित्य से आयोग सन्तुष्ट हो जाता है तो आयोग विद्युत प्रदाय आरम्भ करने की अवधि में वृद्धि कर सकेगा ।

(ग) नये कनैक्शन के लिये आवेदन की दशा में, यहां प्रदाय के लिए नया 33/11 के.वी. उप–केन्द्र स्थापित करना तथा आरम्भ करना आवश्यक है वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर, आयोग को, 33/11 के.वी. उप–केन्द्र के स्थापित करने का, उसके आरम्भ करने में लगने वाले अपेक्षित कालावधि का उल्लेख करते हुए, प्रस्ताव भेजेगा । आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा सम्बन्धित आवेदक की सुनवाई के उपरान्त, प्रस्ताव पर, तथा उप–केन्द्र की स्थापना पर लगने वाले समय के बारे में, विनिश्चय करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उप–केन्द्र स्थापित और आरम्भ करेगा तथा आवेदक को, आयोग द्वारा अनुमोदित कालावधि के भीतर, विद्युत प्रदाय करेगा :

परन्तु यह कि यहां आयोग द्वारा अनुमोदित विनिधान योजना में उप–केन्द्र की स्थापना समाविष्ट है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उप–केन्द्र की स्थापना उक्त विनिधान योजना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ही पूरा करेगा ।

(4) यदि मार्गधिकार, भू–अर्जन से सम्बन्धित समस्याओं के कारण या उपभोक्ता द्वारा उच्च–टैन्शन या अतिरिक्त उच्च–टेन्शन यन्त्रों को लगाने के लिये मुख्य विद्युत निरीक्षक की अनुमति लेने में देरी के कारण या ऐसे अन्य कारणों से, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के, युक्तियुक्त नियन्त्रण से परे है, विद्युत प्रदाय में देरी होती है तो अनुज्ञप्तिधारी उस देरी के लिये उत्तरदायी नहीं होगा :

परन्तु यदि कोई विवाद उठता है कि विद्युत प्रदाय में देरी ऐसे कारणों से है जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के युक्तियुक्त नियन्त्रण से परे है उसका विनिश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा तथा इस विवाद पर आयोग को विनिश्चय अन्तिम तथा आबद्धकर होगा ।

(5) उपरोक्त के अध्यधीन रहते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि में अपेक्षित अतिरिक्त उच्च टैन्शन (EHT) विद्युत प्रदाय, जो कि 33 के. वी. से अधिक हो, उपलब्ध होगी, सम्बन्धित पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ आवश्यक वाणिज्य समझौते करना वितरण अनुज्ञप्तिधारी का उत्तरदायित्व होगा ।

(6) ऐसे गांव या पुरवा या क्षेत्र, जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, के परिसरों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित विनिधान योजना में समाविष्ट बस्तियों के विद्युतीकरण कार्यक्रमानुसार ऐसी अवधि जैसी आयोग द्वारा अनुमोदित विनिधान योजना में विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर विद्युत प्रदाय करेगा ।

4. **व्यतिक्रम के दुष्परिणाम** .— (1) कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी जो विद्युत प्रदाय हेतु विनियम 3 में विनिर्दिष्ट कालावधि का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह ऐसी शास्ति से दण्डनीय होगा जो आयोग के न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उप–धारा (3) के अनुसार विनिश्चित की जाए ।

(2) इन विनियमों के अधीन व्यक्तिक्रम, यदि कोई हो, के लिए आरोपित की जाने वाली शास्ति, व्यथित व्यक्ति को अधिनियम की धारा 57 की उप–धारा (2) के अध्यधीन अधिसूचित विनियमों के अधीन देय प्रतिकर के दायित्व से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को मुक्त नहीं करेगी ।

5. **अपरिहार्य घटना** .— जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत प्रदाय करने में, चक्रवात, बाढ़, तूफान या उसके नियंत्रण से परे अन्य घटनाओं के कारण निवारित हो जाता है, वहां विनियम 3 में विर्दिष्ट कालावधि लागू नहीं होगी ।

6. **निर्वचन** .— इन विनियमों के सम्बन्ध में उद्भूत सभी विवाधक, आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे तथा उन विवाधकों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

**7. आदेश व दिशानिर्देश जारी करना** .– अधिनियम तथा इन विनियमों के अधीन रहते हुए, आयोग उन मामलों में, जिनके लिये ये विनियम आयोग को निदेश देने के लिये सशक्त करते हैं, समय–समय पर, विनियमों के अनुपालन में तथा विभिन्न विषयों में प्रकिया अपनाने हेतु एवं प्रासंगित या आनुषांगित विषयों पर आदेश तथा पद्वति निदेश दे सकेगा ।

**8. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति** .– (1) यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती हे तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी कार्रवाई, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के असंगत न हो और आयोग को कठिनाईयां दूर करने के उद्देश्य से समीचीन लगती हो, कर सकेगा अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को करने के लिए कह सकेगा ।

(2) अधिनियम में उपबन्धों के अधीन रहते हुए आयोग, किसी भी समय, आदेश द्वारा, इन विनियमों के उपबन्धों में परिवर्धन, उपान्तरण व संशोधन कर सकेगा ।

(3) अधिनियम में उपबन्धों के अध्यधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, उसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा पटल पर रखा जाऐगा ।

आयोग के आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित,
सचिव ।

---

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**
**SHIMLA**

NOTIFICATION

*Shimla*-2, *the* 21*st June*, 2004

**No. HPERC/381.**—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 181, read with sub-section (1)

of section 43, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following regulations, namely:—

REGULATIONS

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Licensee's Duty for Supply of Electricity on Request) Regulations, 2004.

(2) These regulations shall be applicable to all distribution licensees in their respective licensed areas, in the State of Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall come into force on the date of their publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Definitions.**— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(*b*) "adjudicating officer" means any Member of the Commission appointed by the Commission to adjudicate on matters specified under the Act to be adjudicated by him ;

(*c*) "applicant" means the owner or occupier of any premises who makes an application to the distribution licensee for supply of electricity ;

(*d*) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission ;

(*e*) "extra high tension (EHT) consumer" means a consumer who is supplied electricity at a voltage higher than 33000 volts ;

(*f*) "high tension (HT) consumer" means a consumer who is supplied electricity at a voltage higher than 440 volts; but not exceeding 33000 volts ;

(*g*) "low tension (LT) consumer" means a consumer who is supplied electricity at a voltage upto 440 volts ;

(*h*) "month" means the calendar month and the period of about 30 days between the two consecutive meter readings shall also be regarded as a month for purpose of billing ; and

(*i*) the words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. **Duty of licensee to supply on request.**— (1) On the receipt of an application from the owner or occupier of the premises, every distribution licensee shall, within the time frame specified hereunder, issue, by a registered post/speed post, a demand notice to the applicant, clearly indicating —

(*a*) all deficiencies to be made good and the codal formalities to be completed by the applicant;

(*b*) necessity to furnish the test report from the approved Wiring Contractor;

(*c*) the exact amount of charges and security to be deposited by the applicant :—

| **Type of service connection requested** | **Period from date of receipt of application within which demand notice should be issued** |
|---|---|
| Low Tension (LT) supply | (10) days |
| 11KV supply | (15) days |
| 22 KV supply | (15) days |
| 33KV supply | (30) days |
| Extra High Tension (EHT) supply | (60) days |

(2) Every distribution licensee shall, upon the applicant making good the deficiencies and completion of codal formalities and payment of charges and security, as indicated in the demand notice under sub-regulation (1), give supply of electricity to the premises within the time specified in sub-regulation (3). The distribution licensee shall give supply of electricity to the premises —

(*a*) where no extension of distribution mains or commissioning of new sub-station is required for effecting such supply, within twenty days reckoned from the completion of the codal formalities and the payment of charges and security amount stated in the demand notice under sub-regulation (1) ;

(*b*) in cases where such extension of distribution mains or commissioning of new sub-station is required but there is no requirement of erecting

and commissioning a new 33/11kV sub-station, within the time frame specified hereunder :

| **Type of service connection requested** | **Period from date of completion of codal formalities required vide demand notice, within which supply of electricity should be provided** |
|---|---|
| Low Tension (LT) supply | (40) days |
| 11KV supply | (30) days |
| 22 KV supply | (30) days |
| 33KV supply | (60) days |
| Extra High Tension (EHT) supply | (120) days |

Provided that the distribution licensee may approach the Commission for extension of the time specified above, in specific cases where the magnitude of extension is such that the licensee will require more time, duly furnishing the details in support of such claim for extension and if satisfied with the justification given by the distribution licensee, the Commission may extend the time for commencing the supply ;

(*c*) in the case of application for new connection, where extension of supply requires erection and commissioning of new 33/11 KV sub-station, the distribution licensee shall, within 15 days of receipt of application, submit to the Commission a proposal for erection of 33/11 KV sub-station together with the time required for commissioning the sub-station. The Commission shall, after hearing the distribution licensee and the applicant concerned, decide on the proposal and the time frame for erection of the sub-station. The distribution licensee shall erect and commission the sub-station and commence power supply to the applicant within the period approved by the Commission:

Provided that, where such sub-station is covered in the investment plan approved by the Commission, the distribution licensee shall complete the erection of such sub-station within the time period specified in such investment plan.

(4) The distribution licensee shall not be responsible for the delay, if any, in extending the supply, if the same is on account of problems relating to right of way, acquisition of land, or the delay in consumer's obligation to obtain approval of the Chief Electrical Inspector for his High Tension or Extra High Tension installation, or for any other similar reasons beyond the reasonable control of the distribution licensee :

Provided that if any dispute arises whether the delay in extending the supply is attributable to the reasons beyond the control of the distribution licensee or not, it shall be decided by the Commission and the decision of the Commission shall be final and binding.

(5) Subject to the above it shall be the responsibility of the distribution licensee to have necessary commercial arrangements with the respective transmission licensee(s) to ensure that the required supply at Extra High Tension (EHT), *i.e.* above 33 KV, is made available within the time frame specified under sub-regulation (2).

(6) In cases where the village or hamlet or area is not electrified earlier, the distribution licensee shall give supply of electricity to premises in such village or hamlet or area as per the programme of electrification of habitations covered in the investment plan approved by the Commission, within the time frame specified in such investment plan approved by the Commission.

**4. Consequences of default.**— (1) The distribution licensee who fails to comply with the time frame for supply of electricity stipulated in regulation 3 shall be liable to pay penalty as may be decided by the adjudicating officer of the Commission in accordance with sub-section (3) of Section 43 of the Act.

(2) The liability to pay penalty under these Regulations for default if any, shall not absolve the distribution licensee from the liability to pay compensation to the affected person as per the regulations notified under sub-section (2) of Section 57 of the Act.

**5. Force Majeure.**— The time frame specified in regulation 3 shall not be operative where the distribution licensee is prevented from giving supply of electricity on account of cyclones, floods, storms and other occurrences beyond his control.

**6. Interpretation.**— All issues arising in relation to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

**7. Issue of orders and practice directions.**— Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of this regulation and procedure to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by this regulation to direct and matters incidental or ancillary thereto.

**8. Power to Remove Difficulties.**— (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may by general or special order take suitable action, or direct the distribution licensee to take such suitable action, not being inconsistent with the Electricity Act, 2003, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulties.

(2) Subject to the provisions of the Act, the Commission may by an order, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations.

(3) Every order made under this regulation shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

By order of the Commission,

Sd/-

*Secretary.*

---

## हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला–2, 21 जून, 2004

**संख्या एच.पी.इ.आर.सी./609.**––हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की, धारा 42 की उप–धारा (5) के साथ पठित, धारा 181 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु मंच की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका) विनियम, 2003 के हिन्दी पाठ को संशोधित करने के लिए निम्न विनियम बनाता है :–

### विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**– (1) इन विनियमों का नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2004 है ।

(2) ये विनियम राज़पत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **संशोधन.**— हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच की स्थापना के लिये मार्गदर्शिका) विनियम, 2003 के हिन्दी पाठ में–

(क) विनियम 1 के उप–विनियम (1) के स्थान पर निम्न उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(1) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक [उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन] विनियम, 2003" प्रतिस्थापित किया जाए ;

(ख) शब्द "लाईसैंसधारी", "लाईसैंस", "विद्युत लोकायुक्त" तथा "मंच" जहां कहीं भी आए हैं, के स्थान पर कमशः शब्द "अनुज्ञप्तिधारी", "अनुज्ञप्ति", " विद्युत ओम्बुडसमैन" तथा "फोरम (मंच)", प्रतिस्थापित किए जाएं ;

(ग) विनियम 6 में शब्द "विद्युत लाईसैंसधारी" के स्थान पर शब्द "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" प्रतिस्थापित किए जाएं ; और

(घ) विद्यमान विनियम 13 के स्थान पर निम्न विनियम प्रतिस्थापित किया जाए :–

"**13. विद्युत ओम्बुडसमैन को अभ्यावेदन.**— कोई व्यक्ति जो फोरम (मंच) के आदेश के कारण व्यथित है, आदेश पारित होने के चालीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में जैसे आयोग विनिर्दिष्ट करे, विद्युत ओम्बुडसमैन को, अपनी शिकायत के प्रतितोष के लिए, अभ्यावेदन कर सकेगा :

परन्तु विद्युत ओम्बुडसमैन, यदि वह सन्तुष्ट है कि नियत कालावधि के भीतर अभ्यावेदन न दे सकने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो वह, उक्त चालीस दिन की अवधि के बीतने पर भी, अभ्यावेदन प्राप्त कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यहां फोरम (मंच) के आदेशानुसार कोई राशि संदत करनी अपेक्षित है, वहां जब तक अभ्यावेदन करने वाला, उस राशि का पचास प्रतिशत आयोग द्वारां विनिर्दिष्ट रीति से संदत्त नहीं कर देता है, विद्युत ओम्बुडसमैन अभ्यावेदन प्राप्त नहीं करेगा ।"

आयोग के आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित,
सचिव ।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**
**SHIMLA**

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 21st June,* 2004

**No. HPERC/ 609.**—In exercise of the powers conferred by section 181, read with sub-section (5) of section 42, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, makes the following regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003:—

REGULATIONS

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (First Amendment) Regulations, 2004.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Substitution of the Regulation 13.**— For the existing regulation 13 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003, the following regulation shall be substituted, namely :—

"13. **Representation to the Electricity Ombudsman.**— Any person aggrieved by an order made by the Forum may make a representation for the redressal of his grievance to the Electricity Ombudsman within a period of forty days from the date of the order, in such form and manner as may be specified by the Commission :

Provided that the Electricity Ombudsman may entertain a representation after the expiry of the said period of forty days if he is satisfied that there was sufficient cause for not making the representation within that period :

Provided further that the Electricity Ombudsman shall not entertain the representation made by any party, which is required to pay any amount in terms of an order of the Forum, unless the person making the representation has deposited, in the manner as may be specified by the Commission, fifty per cent of that amount."

By order of the Commission

Sd/-
*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित